कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का जो बैकलॉग है, वह तो उन्हें पूरा करना है और वह करेंगे ही। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और कल्याण मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का मंडल कमीशन में जो जजमेंट हुआ है, उसमें यह कहा है कि कैरी फारवर्ड सिस्टम लागू नहीं होगा और उसमें यह भी कहा गया है कि 50 प्रतिशत तक केवल आरक्षण पर विचार किया जाएगा तो फिर आप बैकलॉग को पूरा कैसे करेंगे?

क्या आप कैबिनेट में यह प्रस्ताव लायेंगे? क्या आपकी कैबिनेट यह निर्णय करेगी—अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कानून आपको इजाजत देता है कोई रिव्यू पिटीशन करेंगे या कोई कानून बनाकर संसद के द्वारा संविधान संशोधन करेंगे, या ऐसे कानून बनाकर के संविधान के नौवें शैडयूल में डालेंगे? कृपया उत्तर दें, घड़ियाली आंसू कृपया न बहायें।

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय सभापति महोदय, यह एक व्यापक प्रश्न है और शासन इस बात के लिये तो निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है कि जो आरक्षण देने का विषय है इसमें हम किसी प्रकार से कमी न होने दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में क्या परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उस पर क्या समीक्षा हुई है क्या नहीं हुई है और क्या होना है, उस सब का उत्तर मैं इस प्रश्न के माध्यम से कैसे दे सकता हूं? यह एक व्यापक प्रश्न है जो शासन के विचाराधीन है। जो भी उचित होगा वर्तमान परिस्थिति में उसके अनुकूल कदम उठाये जायेंगे।

श्री संघ प्रिय गौतम: आप कह दें कि मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा। .....(*व्यवधान*).....

श्री अजीत जोगी: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अभी पूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दृष्टिगत रखते हुए 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यदि अभी 50 प्रतिशत की सीमा लागू है तो क्या वे यह आश्वासन देंगे कि 50 प्रतिशत के अंदर जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण है, वह किसी भी हालत में कम नहीं किया जायेगा? यदि कम करने की आवश्यकता हो तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण, हैंडीकैप आरक्षण और एक्स-सर्विसमैन आरक्षण को कम किया जाये। लेकिन जो संविधान में सबसे पहले आरक्षण दिया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण, उसे किसी भी हालत में कम न किया जाये। जैसे कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन करके इसको 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ाया जाये तभी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिये आरक्षण कम किया जाये?

श्री अर्जुन सिंह: माननीय सभापति जी, यह तो किसी समय किसी भी परिस्थिति में प्रश्न उठता ही नहीं है और न उठा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मात्रा को कम करने का प्रश्न ही नहीं है और इस विषय पर कोई पुनर्विचार होने की संभावना नहीं है।

गुजरात में पीने के पानी की कमी

*364. **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में कौन-कौन से शहरों, छोटे तथा मध्यम कस्बों को गर्मियों में पीने के पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में कोई योजना प्रस्तुत की है और ऐसे शहरों / कस्बों में पीने के पानी की आपूर्ति करने हेतु धनराशि की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) राज्य सरकार द्वारा की दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात के जिन शहरों तथा मझौले नगरों में पानी की अत्यन्त कमी है उनकी सूची सभा पटल पर रखे विवरण में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ख) इस बारे में गुजरात सरकार ने कोई योजना नहीं भेजी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

गुजरात में पानी की कमी वाले शहरों तथा छोटे और मझौले नगरों की सूची

क्र. सं.	जिला	नगर
1.	जाम नगर	सिक्का
2.	-वही-	रावल
3.	-वही-	द्वारका
4.	वही	ओखा
5.	-वही-	सलाया
6.	-वही-	जोदीया
7.	-वही-	ध्रोल
8.	-वही-	कलावड

क्र. सं.	जिला	नगर
9.	जाम नगर	नवगमघेड
10.	-वही-	लालपुर
11.	-वही-	बेदी
12.	-वही-	कल्याणिया
13.	-वही-	जमजोधपुर
14.	कच्छ	मुंद्रा
15.	-वही-	भचऊ
16.	-वही-	रापड
17.	-वही-	नलिया
18.	-वही-	नखत्राना
19.	-वही-	माधोपुर
20.	-वही-	कांडला गांधीधाम
21.	-वही-	अंजर
22.	-वही-	मांडवी
23.	-वही-	भुज
24.	जूनागढ़	कुतियाना
25.	-वही-	मनावदर
26.	-वही-	बंतवा
27.	-वही-	छाया
28.	-वही-	बोखीरा
29.	-वही-	रनावव
30.	-वही-	आदित्याना
31.	-वही-	शाहपुर
32.	-वही-	धनधली
33.	-वही-	मंदरा
34.	-वही-	बिलखा
35.	-वही-	विसावदर
36.	-वही-	चोखड
37.	-वही-	मलिया
38.	-वही-	तलाला
39.	-वही-	भेसन
40.	-वही-	देलवडा
41.	-वही-	वदल
42.	-वही-	जोशीपुरा
43.	-वही-	कोडीनार
44.	-वही-	पोरबन्दर
45.	-वही-	वेरावल
46.	-वही-	ऊना
47.	-वही-	मंगरोल
48.	जूनागढ़	केशड
49.	अमरेली	दमनगर
50.	-वही-	चावरा
51.	-वही-	वदीया
52.	-वही-	कुकावव
53.	राजकोट	नवाडी
54.	-वही-	नानामौरा
55.	-वही-	रैया
56.	-वही-	नवागध
57.	सबरकंठा	ईदर
58.	-वही-	खेदब्रह्मा
59.	-वही-	बादली
60.	भावनगर	बोताड
61	जामनगर	जामनगर शहर

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: सर, मेरे "क" प्रश्न का ही उत्तर दिया गया है। "ख" और "ग" का कोई उत्तर नहीं दिया है। सर, गुजरात में पानी की स्थिति बहुत ही गंभीर है। कांग्रेस की आंतरिक राजनीति के कारण गुजरात की नर्मदा योजना में अनेक बाधायें आयी हैं। नर्मदा डाम से पाइप लाइन से पानी ले जाने की बड़ी बड़ी बातें आज की सरकार करती रहती है। लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ को नर्मदा के पानी की सुविधा नहीं मिली है। कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। गुजरात में पीने के पानी की समस्या गंभीर है। धंधुपत्र, जोड़िया, मोरबी, द्रोअड़, समीटारिज, राधनपुर, सांतलपुर जैसे गांवों में महिलाओं को चार-पांच दिन के बाद ही पानी मिलता है। गुजरात में फ्लोराइड युक्त पानी है। फ्लोराइड युक्त पानी से हर परिवार में हड्डी का रोग पहुंच गया है। वहां पर साल्टी वाटर मिलता है। वहां की जल सम्पत्ति समाप्त होने जा रही है। वहां पर ट्यूबवेल में 12 सौ फीट नीचे पानी मिलता है।

जब गुजरात में भाजपा सरकार थी तब सौ से अधिक चेक डैम सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर गुजरात में बनाने की योजना बनाई थी और चेक डैम बन रहे थे लेकिन कांग्री सरकार आते ही चेक डैम की योजना स्थगित कर दी गई। राजकोट शहर में ट्रेन द्वारा पानी भेजा जाता था। मैं निवेदन करूंगी.....(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह: बैठिये आप क्यों खड़े हो गये? बीच में खड़े होते हैं (व्यवधान)

क्यों खड़े हो गये? बैठिये (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please put your question. *(Interruptions)*

Please keep quiet. Let the lady put her question. *(Interruptions)*

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: चालीस साल से महिलाएं परेशान हैं और आन्दोलन कर रही हैं पूरे गुजरात में लेकिन समस्या का निराकरण आज तक नहीं हुआ है। मैं प्रश्न यह पूछती हूं, मंत्री जी मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि गुजरात में हालत कैसी है। अगर आपको ए.के. 47 चाहिये तो मिल सकती है, आर.डी.एक्स. चाहिये तो मिल सकता है, नशीली दवाएं चाहियें तो मिल सकती हैं लेकिन एक गिलास पानी चाहिये तो नहीं मिलता है। गुजरात में.....

MR. CHAIRMAN: Please put your question. Have you any specific question to put?

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल: मान्यवर, मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या गुजरात सरकार को चेक डैम की योजना बनाने के लिए और उसके साथ साथ कुएं रिचार्ज करने के लिए केन्द्रीय सरकार कोई धनराशि उपलब्ध कराना चाहती है और यदि चाहती है तो यह कब करेगी और कितनी करेगी? यह मेरा पहला प्रश्न है।

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, the hon. Member has given us information at length on what is going on in the State'of Gujarat. *(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: Mr. Dave, will you please keep quiet? I do not know why you are interrupting. The Minister is answering.

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, I need an opportunity to reply to the hon. Members question. As she knows, water supply and sanitation are State subjects. In view of the peculiar problems and narrow revenue base of small and medium towns, the Government has introduced the Centrally sponsored Accelerated Urban Water Supply Programme for towns with a population of less than 20,000. And the funding is in the ratio of 50:50. The hon. Member has asked for the number of towns that are benefited by this. The State Government has given us a list of 84 towns that need looking into. But they have not sent us any scheme. They have sent us only proposals for this. For these 84 towns, the cost would be about Rs. 28 crores. But in 1993-94, only eight towns of the State of Gujarat could be considered for funding due to the limited resource available. An amount of Rs. 71.8 lakhs was released. The approved Central share for the Project is Rs. 284.32 lakhs. The Government is trying to make arrangements in the areas where there is shortage of water. There is a master plan by the State Government. It has worked out various measures that are to be taken and by these measure, drinking water will be provided to scarcity areas. Out of 61 urban areas, only four have applied for loan from the State and they are Porbandar, Kambalia, Salaya and Rawa.

श्रीमती आनन्दीबेन जेठाबाई पटेल: मेरी जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा राजीव गांधी पेयजल योजना बनी हुई थी। इस योजना के अनुसार गुजरात में पिछले तीन साल में कितनी योजना कार्यान्वित हुई हैं, और 1994-95 में कितनी योजनाएं करने का निर्धारण किया गया है?

श्रीमती शीला कौल: जैसा मैंने कहा कि योजनाओं का तो उन्होंने प्रोपोजल दिया, योजनाएं कोई अभी भेजी नहीं है। स्कीम्स कोई नहीं भेजी हैं, प्रोपोजल्स भेजे हैं।

श्री अहमद मोहम्मदभाई पटेल: मान्यवर, क्योंकि ग्राम विस्तार और नगरों में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं, उसी लिए लोग शहरों की ओर जाते हैं। एक अनुमान यह है कि आने वाले दिनों में करीबन 20 साल के बाद भारत की आधी जनसंख्या शहरों में होगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए खास तौर पर जब आधी जनसंख्या शहरों में होगी तब आने वाले दिनों में बुनियादी हमारी जो जरूरतें है और जो सेवाओं के मामले हैं उनके बारे में काफी कठिनाइयां और संकट पैदा होंगे। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहूंगा कि ये समस्याएं तथा आने वाले दिनों में और जो संकट उपस्थित होने वाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और खास तौर पर जो हमारी नयी आर्थिक उदार नीति है उसको केन्द्र में रखते हुए क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने कोई ऐसी योजना बनाई है या ऐसा कोई प्लान बनाया है जिसकी वजह से आने वाले दिनों मे इन कठिनाइयों और संकटों का सामना किया जा सके। मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कोई ऐसी सूची समस्याग्रस्त विस्तारों के लिए मंगाई है जहां खास तौर से पानी की समस्या हो। गुजरात की सरकार ने क्या कोई ऐसी सूची भेजी है अगर सूची भेजी है। तो केन्द्र सरकार उसमें क्या मदद कर रही है?

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, the hon. Member has put a question that relates to his

question which is going to come just now.

नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह वही है जो आनरेबुल मेम्बर पूछ रहे हैं इसके विषय में मुझे कहना है ..(व्यवधान) इससे यह होगा कि जो उनका क्वेश्चन नहीं आ सकेगा उसमें जानकारी आ जाएगी। यह बात अच्छी बात है।

सरकार, के पास जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे पास प्रोपोजल्स आए हैं लेकिन कोई स्कीम हमारे पास अभी तक नहीं आई है। अगर वे स्कीम बनाकर भेजेंगे तब हम उस पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि हम भी इसके लिए इतने ही कन्सर्न्ड हैं, रूरल एरियाज के लिए, जितना कि कोई और होगा। इसलिए हमारे पास जब प्रोग्राम बनते हैं तब प्रोजेक्ट या कोई स्कीम आएगी तो वी शैल गो इन्टू दैट।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सभापति महोदय, अभी अभी यहां मंत्री महोदया ने जो बताया है, मैं बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपने करीब 61 सिटीज और टाउन की यहां लिस्ट दी हुई है। उनमें से चार जगह पीने के पानी की व्यवस्था केन्द्र सरकार ने अभी तक की है। यह स्टेट गवर्नमेंट और केन्द्र सरकार का मिला जुला स्टेटमेंट है, यह मैं जान गया हूं। लेकिन अभी जवाब में आपने एक बात बताई कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ प्रोपोजल्स आपके पास भेजे है। आपने जो जवाब दिया है। → In this regard, the Government of Gujarat has not submitted any scheme. ता हूं कि प्रोपोजल्स और स्कीम में क्या डिफरेंस है वह बतायें। दूसरी बात, क्या ये पीने के पानी के प्रोपोजल्स स्टेट गवर्नमेंट ने आपके पास भेजे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लिस्ट यहां दी हुई है उसमें से दो जिले ऐसे है जो बिल्कुल बार्डर पर है जामनगर और कच्छ तथा ये पिछड़े जिले है। वहां क्या केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से सुओ मोटो पीने के पानी की जो तकलीफ वहां है उसे जल्दी खत्म करेगी या नहीं करेगी?

श्रीमती शीला कौल: माननीय, आपने जानकारी चाही है कि प्रोपोजल और स्कीम में क्या फर्क होता है। प्रोपोजल ऐसा होता है जिसमें कि आप अपनी राय देते हैं। हम यह प्रोपोज कर रहे है कि आप ऐसा करिए। स्कीम जो होती है वह खास तौर पर एक तरीके से बताई जाती है कि इसके बाद यह होगा, इसके बाद यह होगा, इसके बाद वह होगा। इसके ऊपर इतना पैसा लगेगा। यह तो फर्क हो गया इसका, मेरे अंदाज से और आपने कहा कि जो कुछ एरियाज हैं जहां कि पानी नहीं जा सकता उसके विषय में आप क्या करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे मेजर्ज हैं जो कि किए जा रहे हैं। उसमें जो पानी की कमी है उसके लिए एक तो हम टैंकर से पानी भेजते हैं। ...(व्यवधान) देखिए, आप मुझे पूरा करने दीजिए तो फिर में बता दूंगी।

MR CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Awarding Grace Marks to Sports Persons for Admission in Colleges

*362. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to stated:

(a) whether Government have given any directives to State Governments to award grace marks for outstanding sports persons while admitting them in professional and other colleges;

(b) whether it is a fact that against the implementation of granting grace marks to the sportspersons as per the State Government's directive, litigation has been instituted; and

(c) whether Government will consider reserving quota for sportspersons in colleges, stipulating guidelines in line with reservations for SCs, STs, & other categories?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) Although no directive has been given to the State Governments, the Government have, however, requested them to consider giving special weightage to sportspersons who have excelled.

(b) No such instance has come to the notice
of the Government.

(c) UGC has framed and approved guidelines in this regard which are to be issued
shortly.

Nuclear Chemistry Department of IIT, Kanpur

*365. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Indian Institute of Technology, Kanpur has closed down the Nuclear Chemistry Department and students are unable to carry on their studies of the subject;

(b) whether there is costly equipment gathering dust and becoming useless;